संख्या-43/2021/315/41-2021-102(बजट)/2020

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक, 25 जनवरी 2021**

विषय-जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया जाना।

महोदय,

जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु शासनादेश सं0-13/2021/4826/41-2020-102(बजट)/2020 दिनांक 6-1-2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के निर्माणाधीन नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में फर्नीचर -किचन माड्युलर फर्नीचर (किचेन सेट) ,रेस्टोरेण्ट फर्नीचर ,बैंक्वेट हॉल-फर्नीचर, सभी कक्षों एवं सूट के फर्नीचर / फर्निशिंग इत्यदि को क्रय किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित संदर्भगत आगणन में अंकित लागत रू0-7.61 करोड+ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0-रू0 1.36 करोड अर्थात् कुल रूपये 8.96 करोड (रूपये आठ करोड छियानवे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है एवं उक्त शासनादेश दि0-6-1-2021 में अंकित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन सामग्री क्रय करने हेतु शासनादेश सं0-30/2021/142/41-2021-102(बजट)/2020 दिनांक-13-1-2021 द्वारा प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग उ0प्र0 शासन के अध्यक्षता में 04 सदस्यीय क्रय समिति गठित की गई है।

2- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार निर्गत किये गये शासनादेशों के क्रम में संदर्भगत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या- /2021/ /41-2021-102(बजट)/2020 तद्दिनॉक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई-2-देहरादून।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।